



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1231]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2017/वैशाख 13, 1939

No. 1231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2017/VAISAKHA 13, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ.1394(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह निदेश देते हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव तथा लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में, रियल एस्टेट (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के अंतर्गत धारा 82 एवं धारा 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों से भिन्न उपयुक्त सरकार की शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यक्षीन एवं अगले आदेशों तक, संबंधित केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक अथवा उप राज्यपाल, जिस भी नाम से सम्बोधित किया जाता हो, के द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11030/4/2016-यू टी एल]

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O.1394(E).—In pursuance of powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers and the functions of the appropriate Government under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), other than the powers under section 82 and section 84, shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised and discharged, in relation to the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep, by the Administrator or the Lieutenant Governor, by whatever name called, of the respective Union territory.

[F.No.U-11030/4/2016-UTL]

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy.